पीजीआई रोहतक के पूर्व निदेशक से जवाब तलब पांच डॉक्टरों को नोटिस

चंडीगढ़। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने निर्धारित समय में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी न करने से जुड़े मामले में गलतबयानी पर पीजीआई रोहतक के पूर्व निदेशक डॉ. रोहतास यादव से जवाब मांगा है। साथ में पांच डॉक्टरों को स्वतः संज्ञान नोटिस भेजा है।

आयोग की सचिव मीनाक्षी राज ने बताया कि 24 अक्तूबर को संस्थान के निदेशक ने

मृत्यु प्रमाण पत्र जारी न करने का मामला

स्वीकार किया है कि 125 मामलों में से 86 मामलों में अभी तक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए हैं। यह पीजीआई के पूर्व निदेशक डॉ. रोहतास यादव के 11 अक्तूबर को आयोग के समक्ष दिए बयान के एकदम विपरीत है। उन्होंने कहा था कि संस्थान में प्रमाण पत्रों का कोई मामला लंबित नहीं है। तथ्यों को सत्यापित करने के लिए पीजीआई की वर्तमान निदेशक डॉ. गीता के साथ टेलीफोन पर बात की गई। उन्होंने 24 अक्तूबर को भेजी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि मृत्यु से संबंधित जिन 125 फाइलों के पंजीकरण में देरी हुई, उनमें से 107 फाइलें कोविड-19 अवधि की हैं। गैर-कोविड अवधि के 18 मामलों में से ज्यादातर 2019 के हैं। ब्यूरो

मानवीय संवेदनाओं के मृत होने का जीवंत उदाहरण : मीनाक्षी

चंडीगढ़। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग की सचिव मीनाक्षी राज ने कहा कि निर्धारित समय में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी न करने से जुड़े मामले में जिन-जिन अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही पाई जाएगी, उन्हें नोटिस देंगे। यह जीवित व्यक्तियों की मानवीय संवेदनाओं के मृत होने का जीवंत उदाहरण है। ब्यूरो